

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

**MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING**

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2014

का.आ. 23(अ).—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 43 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5-घ की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति (श्रीमती) रेवा खेत्रपाल को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो पहले हो, तक के लिए फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एम-34011/1/2014-डीओ (एफसी)]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 5D of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with Rule 43 of the Cinematograph Act (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints Justice (Smt.) Reva Khetrapal, retired Judge of Delhi High Court as Chairperson of the Film Certification Appellate Tribunal for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. M-34011/1/2014-DO(FC)]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.